



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 365 राँची, गुरुवार, 1 आषाढ़, 1945 (श०)
22 जून, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

21 जून, 2023

संख्या-08/निकाय/10/2020/न.वि.आ./2283--नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-298 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम-4.7 के प्रावधानों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के समस्त नगर निकाय से संबंधित जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव बयान की सुनवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग स्तर पर गठित दो सदस्यी जाँच समिति का निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता है:

क्र.	नाम/पदनाम	
1	श्री मनोहर मराण्डी, भा.प्र.से., अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।	जाँच पदाधिकारी
2	संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई राजपत्रित पदाधिकारी।	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी

- जाँच समिति झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कार्य सम्पन्न करेंगे।
- विभाग में पदस्थापित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नगर प्रबंधक उक्त जाँच समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ज्ञानेन्द्र कुमार,
सरकार के अपर सचिव।
